भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2429

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

ई-श्रम पोर्टल का सुधार

†2429. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लाभों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ई-श्रम पोर्टल में किए जा रहे सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अतिरिक्त पोर्टलों को जोड़ने से श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने और सामाजिक सुरक्षा तक पैठ में कैसे सुधार होगा;

(ग) क्या सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उक्त सुधारों की जानकारी सुनिश्चित कराने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करते हुए पंजीकृत करना और उनकी मदद करना है।

दिनांक 8 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 31.40 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को एक वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा, 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम -"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात् ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

जारी...2/-

असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ पहले ही एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई- जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, ई-श्रम को नौकरी के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास हेतु स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) तथा पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है।

ई-श्रम पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भाषिनी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए दिनांक 7 जनवरी 2025 को ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यक्षमता की शुरुआत की। इस सुधार से अब कामगार ई-श्रम पोर्टल पर 22 भारतीय भाषाओं में बातचीत कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए पहुंच बेहतर होगी और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

ई-श्रम पहल के अंतर्गत पंजीकरण बढ़ाने एवं असंगठित कामगारों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है। वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्व-पंजीकरण समर्थ बनाने के अलावा, कामगारों की आसान पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता आधारित सहित पंजीकरण प्रणालियां शुरू की गई हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय लक्षित जागरूकता अभियान संचालित कर रहा है, जिनमें पंजीकरण अभियान, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम और स्थानीय स्तर के अनुरूप तैयार किए गए संचार प्रयास शामिल हैं। इसकी आउटरीच को और मज़बूत करने के लिए मंत्रालय, वीडियो, ट्यूटोरियल और अन्य सूचनात्मक सामग्री प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया चैनलों का लाभ उठा रहा है, जिससे यह पहल अधिक सुलभ और आकर्षक बन रही है।

****